

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .-953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960,961, 962 व 963 /2015/जिला-करौली.....

उनवान- मैसर्स हिण्डौन स्लेट प्रोडक्ट्स (इण्डिया), एच-1-77,78 इण्डस्ट्रीयल एरिया, हिण्डौन सिटी, करौली बनाम् सहायक आयुक्त,प्रतिकरापवंचन, भरतपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.07.2015	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री बी.के.मीणा, अध्यक्ष</u> <u>श्री मदन लाल,सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्-पृथक् आदेश दिनांक <u>17.06.2015</u>, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जिनमें सहायक आयुक्त, <u>प्रतिकरापवंचन, भरतपुर</u> (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 अधिनियम की <u>धारा 25, 55 व 61</u> के तहत क्रमशः <u>निर्धारण वर्ष 2009-10, 2009-10(सीएसटी), 2010-11, 2010-11(सीएसटी), 2011-12, 2011-12(सीएसटी), 2012-13, 2012-13(सीएसटी), 2013-14, 2014-15</u> (दिनांक <u>01.04.2014</u> से दिनांक <u>13.11.2014</u> तक) व <u>2014-15 (सीएसटी, दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 13.11.2014 तक)</u> के लिये पारित पृथक्-पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक <u>20.04.2015</u> के जरिये कायम मांग राशि की वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने के प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने को विवादित कर, क्रमशः <u>रु.1,03,550/-, रु.2,92,980/-, रु.1,78,955/-, रु.7,77,490/-, रु.52,755/-, रु.10,29,755/-, रु.7,03,510/-, रु.33,21,820/-, रु.6,47,220/-, रु.7,11,965/-, रु.57,30,310</u> की वसूली पर रोक लगाये जाने की प्रार्थना की गयी है।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री पंकज घीया विभाग की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह रोक आवेदन पत्रों पर बहस हेतु दिनांक <u>29.05.2015</u> को उपस्थित हुये।</p> <p>उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अध्ययन व अवलोकन पश्चात् यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि हस्तगत प्रकरणों में विक्रयार्थ वस्तु "तख्ती" के कर मुक्त होने अथवा नहीं होने एवम् तदनुसार करारोपण कर, मांग राशियां कायम करने का महत्वपूर्ण व विधिक बिन्दु अन्तर्वर्लित है। अतः <u>गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, यह पीठ अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र आशिक रूप से स्वीकार कर, हस्तगत प्रकरणों में अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति रु.56,430/-, रु.1,59,660/- रु.1,00,820/-,रु. 4,38,020/-,</u></p>	





-262- लगातार.....2

07.07.2015

- 2 -953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960,961, 962 व 963 /2015 /करौली

रु.30,760 /-, रु.6,00,440 /-, रु. 4,25,080 /-, रु.20,07,140 /-,  
रु.4,05,780 /-, रु.4,63,820 /-, रु.37,33,100 /- की वसूली कार्यवाही पर  
सशक्त अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में  
पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष  
लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी  
जाती है। रोक आदेश की पालना के अभाव में उक्त स्वतः ही निष्प्रभावी हो  
जायेगा एवं अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश  
प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित  
करें।

  
3.7.15  
(मदन लाल)  
सदस्य

  
(बी.के.मीणा)  
अध्यक्ष